

प्रारूप- एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उच्च सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
अधिसूचना

भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि के अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
रायगढ़	पुरौर	बड़माल	5.468 हे.	रेल लाईन निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन की सामाजिक समाधात निर्धारण के अद्ययन हेतु जनसूनावाई दिनांक-27/03/2020 को समय दिन के 11:00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन रेंगातपाली पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन अन्य विवरण निम्नानुसार है-

- (एक) लोक प्रयोजन का संक्षेप विवरण- तलाईपाली कोल माईन्स से एनटीपीसी तारा विद्युत गृह के लिये कोयला परिवहन हेतु रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन
 - (दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या- 52 खातेदार
 - (तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या- निरंक
 - (चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों का अनुमानित संख्या- निरंक
 - (पाँच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों का अनुमानित संख्या- निरंक
 - (छ) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है- हाँ
 - (सात) क्या संभव विकल्पों और इनकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है- हाँ
 - (आठ) परियोजना के कुल लागत रु. 3004 करोड़ (अनुमानित)
 - (नौ) परियोजना से होने वाला लाभ- कोयला परिवहन के पश्चात एनटीपीसी विद्युत तारा गृह से उत्पन्न होने वाली बिजली से छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों को विजली वितरित की जावेगी।
 - (दस) प्रस्तावित से सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यव भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा। संभावित व्यय रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो।
- (ब्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक- निरंक
- उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

प्रतिहस्ताक्षर

अविनाश (छ.ग.) एवं

ए-अर्जन अधिकार समिति (छ.ग.)

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)